

वर्ततीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा नगिम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

25 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नेहरू सहकार भवन स्थिति सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी नगिम लिमिटेड (अनुजा नगिम) के वर्ततीय वर्ष 2023-24 के लिये ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बडि

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने इस अवसर पर कहा कि ऋण के लिये अब सरकारी कार्मकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पारदर्शिता आएगी।
- उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर ज़रूरतमंद व्यक्तियों को 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। नगिम द्वारा 12 हजार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है।
- उन्होंने कहा कि आज से वर्ततीय वर्ष 2023-24 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन एवं अन्य पछिड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर अब सारा डाटा जनाधार से फेच किया जाता है।
- इस अवसर पर राजस्थान राज्य अन्य पछिड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने कहा कि अनुजा नगिम एक चैनेलाइजिंग एजेंसी है, जिसका प्रमुख कार्य राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शिक्षितजन एवं सफाई कर्मचारी, अन्य पछिड़ा वर्ग के सदस्यों का आर्थिक विकास एवं उनकी उन्नति में सहायता करना है, ताकि इन वर्गों के सदस्यों का जीविकोपार्जन सही ढंग से हो सके तथा उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार हो सके।



PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-scheduled-caste-tribes-finance-and-development-cooperative-corporation-limited-online-portal-started-for-loan-application-for-the-financial-year-2023-24>

